

दिनांक- 26/06/2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक की अनुपालन आख्या

- 1 (अ) उपस्थिति – संलग्नक परिशिष्ट – “क” के अनुसार
- 2 (ब) स्थान – कलक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़, समय- 12.00 बजे अपराहन।

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सदन में उपस्थित सदस्यों व उद्यमियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डानुसार निम्नवत् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1 – गत बैठक दिनांक- 15/01/2021 के अनुपालन की पुष्टि –

सदस्य सचिव द्वारा पूर्व बैठक दिनांक- 15/01/2021 के क्रम में बिन्दुवार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या का विवरण सदन के सम्मुख विस्तृत रूप से पढ़कर सुनाया गया।

2- एकल खिड़की सुगमता :-

एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

3 – एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 के अन्तर्गत प्राप्त दावों की स्वीकृति पर विचार-

1. “40 %” राज्य पूंजी उपादान :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पूंजी उपादान योजनान्तर्गत 01 दावा, मै0 रक्षित इण्डस्ट्रीज, बिण, पिथौरागढ़ का प्राप्त हुआ है। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सन्दर्भित दावे की पुनः जाँच कर उद्योग मित्र की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही – मुख्य विकास अधिकारी/ महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।

2. “10 %” ब्याज उपादान :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ब्याज उपादान योजनान्तर्गत कुल 30 दावें प्राप्त हुए हैं। बैठक में प्रस्तुत विवरण व तालिका के अनुसार जाँच करने के उपरान्त 21 दावों कुल धनराशि ₹ 18,02,137-00 (अट्ठारह लाख दो हजार एक सौ सैंतीस मात्र), को कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष 09 होटल के दावों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः परीक्षण कर आगामी उद्योग मित्र बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।


3. "100 %" विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 100 प्रतिशत विद्युत उपादान सहायता के 02 दावे प्राप्त हुए हैं। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा इकाई की पत्रावली का निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त 02 दावे, कुल ₹ 57,186-00 (सतावन हजार एक सौ छियासी मात्र) की धनराशि को कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।

अन्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों व उद्यमियों से उनकी समस्याओं एवं प्रस्तावों से अवगत होने के उपरान्त सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन किया गया।


सदस्य/सचिव
महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला उद्योग केन्द्र समिति,
पिथौरागढ़।

कार्यालय महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़।

पत्राक 268-76 उ० मि० बैठक / 2021 - 22 दिनाक 6-07-2021.

प्रतिलिपि - निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 - प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 02 - निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड पटेलनगर देहरादून।
- 03 - जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
- 04 - मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़।
- 05 - मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़।
- 06 - अग्रणी बैंक अधिकारी पिथौरागढ़।
- 07 - अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़।
- 08 - असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर पिथौरागढ़।
- 09 - समस्त सदस्य जिला उद्योग मित्र समिति पिथौरागढ़।

Ke
महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
पिथौरागढ़। *Ke*